

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ .3 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न . 4475 / 89

दिनांक :- 24.5.21

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री भगवती लाल चौधरी [लिंक नं. 4475] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय उप निदेशक (ग्रामीण), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर - [7000129] जिनकी जन्म तिथि 16/08/1961 है, का दिनांक 30/04/2021 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 30/04/2021 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प . 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24/03/2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री भगवती लाल चौधरी के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)

निदेशक

क्रमांक :- एफ .3 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न . 4475 / 89

दिनांक :- 24.5.21,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ,क्षेत्रीय कार्यालय
3. उप निदेशक (ग्रामीण), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि यदि स्व. श्री भगवती लाल चौधरी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित कों अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
4. कोषाधिकारी उदयपुर
5. श्री/श्रीमती पति / पत्नी स्व. श्रीमती /श्री Meena Choudhary ,15/710, SAGAR COLONY, KALKA MATA ROAD, UDAIPUR 313001 को प्रेषित कर लेख है कि यदि आप अथवा आपके परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित कों अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र उप निदेशक (ग्रामीण), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करें।
6. निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / ए सी आर शाखा


(कुसुम मीणा)

सहायक निदेशक (कार्मिक I)